

वन विभाग हरियाणा सरकार
कार्यालय : वन मण्डल अधिकारी, रोहतक

पता : झंग कालोनी नजदीक विजय पार्क, रोहतक, दूरभाष 01262-251940 E-mail dforohtak2@yahoo.com

क्रमांक

142

दिनांक

18/4/2011

सेवा में,

सोनिका प्रोपर्टीज प्रा० (लि०),
एन 49, प्रथम तल, कनॉट प्लेश,
नई दिल्ली।

विषय: Approval / NOC to fulfill the requirement of Notification Dated 14-09-2006 of Ministry of Environment & Forest, Government of India.

संदर्भ: आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.10 तथा दिनांक 03.03.11

उपरोक्त विषय के सम्बंध में आपको लिखा जाता है कि मौजा रोहतक के खसरा नं० 7320, 7475, 7283, 7286, 7285, 7287, 10462/7288, 10463/7289, 7317, 7319, 16352/7322, 16351/7322, 16353/7323 तथा 16354/7323 का क्षेत्र पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में बन्द नहीं है।

प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी वन भूमि का अनाधिकृत इस्तेमाल की अवस्था में कानूनी कार्यवाही की पात्र होगी।


वन मण्डल अधिकारी,
रोहतक।

पृ० क्रमांक :

दिनांक :

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक 624 दिनांक 7.02.2011 के संदर्भ में भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि का इस्तेमाल न होने दिया जाए।


वन मण्डल अधिकारी,
रोहतक।